

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक:प.1(1)गृह-7 / 2019

जयपुर, दिनांक: 29.05.2019

:: आज्ञा ::

राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम-1976 के नियम 23(9) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर उप समादेष्टा के पदों पर वर्ष 2018-19 की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित कम्पनी कमाण्डरों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उप समादेष्टा के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति तिथि	विशेष विवरण
1.	श्री राजेन्द्र सिंह	सामान्य	01.04.2018	-
2.	श्री चन्द्र भान	अनु. जाति	01.04.2018	-
3.	श्री किशना राम	अनु. जाति	01.04.2018	मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ होने के कारण सामान्य पद के विरुद्ध।
4.	श्री पूरण मल	अनु. जाति	01.04.2018	
5.	श्री उगम सिंह	सामान्य	01.04.2018	-

आज्ञा से,

ह-

(सूबेसिंह यादव)

शासन विशिष्ट सचिव,

गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ 5(576) डीपीसी / 2018-19 / 13 दिनांक 10.04.2019 के क्रम में।
6. निजी सहायक, शासन विशिष्ट सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

शासन विशिष्ट सचिव,

गृह (आपदा प्रबंधन)